संख्या-911/41-1-2025-सी0एन0-1914609/2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 27 नवम्बर, 2025**

विषय: मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर, जौनपुर के कुत्तुपुर चौराहे पर मां दुर्गा मंदिर की अवस्थापना कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-339932 मु0प0वि0स0यो0/सीएन/248620/2023, दिनांक 12.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर, जौनपुर के कुत्तुपुर चौराहे पर मां दुर्गा मंदिर की अवस्थापना कार्यकी परियोजना निरस्तकरते हुए निर्गत धनराशि को मयब्याज राजकोष में जमा कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-349/2025/41-1-2025-सी0एन0-1914609/2025, दिनांक 30.03.2025 द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अन्तर्गत विभिन्नजनपदों में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने सम्बन्धी 11 योजनाओं हेतु कुलरू0 2.75 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की गयी थी कि प्रस्तावकद्वारा भी प्रथम किश्त के समान ही धनराशि साथ में देय होगी। उक्तशासनादेश के प्रस्तर-2की सारिणी क्रमांक-9 पर अंकित प्रायोजनाजनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर, जौनपुर के कुत्तुपुर चौराहे पर मांदुर्गा मंदिर की अवस्थापना कार्य हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 49.56 लाख जीएसटी सहित कीप्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 0.25 लाख की धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी कि प्रस्तावक श्री गिरीशचन्द्र यादव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याणविभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा सहभागिता के अन्तर्गत समान धनराशि साथ में देयहोगी तथा शासनादेश संख्या-591/2025/41-1-2025-002-सी0एन0-1914609/2025, दिनांक 30 जून, 2025 के प्रस्तर-2 में अंकित सारिणी क्रमांक-1 पर प्रश्नगत प्रायोजना हेतुद्वितीय किश्त के रूप में रू0 17.50 लाख की धनराशि इस शर्त के साथस्वीकृत की गयी थी कि प्रस्तावक द्वारा भी द्वितीय किश्त के समान हीधनराशि साथ में देय होगी। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना हेतु कुल रू0 17.75 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-349/2025/41-1-2025-सी0एन0-1914609/2025, दिनांक 30.03.2025 के क्रमांक-9 एवं शासनादेश संख्या-591/2025/41-1-2025-002-सी0एन0-1914609/2025, दिनांक 30 जून, 2025के क्रमांक-1 परअंकित प्रश्नगत प्रायोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अत: प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त कुल धनराशि रू0 17.75 लाख (रूपये सत्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) को मयब्याज सहित 03 दिन के अन्दर राजकोष में जमा कराकर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, जौनपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 , लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA), लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, (राज्य योजना) मुख्यालय, पर्यटन निदेशालयय लखनऊ ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।